

अध्याय-II

बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर/वैट

अध्याय-II: बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर/वैट

2.1 कर प्रशासन

बिक्री कर/वैट अधिनियमों एवं उनके अधीन बनाये गये नियमों को लागू करवाना, शासन स्तर पर प्रमुख शासन सचिव (वित्त) के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग का प्रमुख होता है, जिनकी सहायता हेतु 27 अतिरिक्त आयुक्त, 48 उपायुक्त, 98 सहायक आयुक्त, 146 वाणिज्यिक कर अधिकारी, 402 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं 1 वित्तीय सलाहकार होते हैं। सम्बन्धित कर अधिनियमों एवं नियमों को लागू करवाने में कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं अधीनस्थ स्टाफ सहयोग प्रदान करते हैं।

वैट, प्रवेश कर का आरोपण एवं संग्रहण तथा ब्याज एवं शास्ति का आरोपण 'राजस्थान वैट अधिनियम', 'राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम' एवं उनके अधीन निर्मित नियमों और समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा विनियमित होते हैं।

2.2 विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा

विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह का प्रमुख वित्तीय सलाहकार होता है। समूह को निर्धारण प्रकरणों की मापक जांच, जो अनुमोदित कार्य योजना, जिसे परिचालन समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार बनाया जाता है, नियमों एवं अधिनियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, की जाती है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा विगत पांच वर्षों में लेखापरीक्षा की गयी इकाइयों की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	लेखापरीक्षा के लिये बकाया इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिए ड्यू इकाइयाँ	लेखापरीक्षा के लिये कुल ड्यू इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयाँ	लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयाँ	कमी प्रतिशतता में
2009-10	104	393	497	299	198	40
2010-11	198	384	582	489	93	16
2011-12	93	384	477	411	66	14
2012-13	66	384	450	267	183	41
2013-14	183	414	597	287	310	52

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा किये जाने में 14 से 52 प्रतिशत के मध्य कमी रही।

यह भी देखा गया कि वर्ष 2013-14 के अन्त में आन्तरिक लेखापरीक्षा के 17,921 अनुच्छेद बकाया थे। वर्षवार बकाया अनुच्छेदों की स्थिति निम्न प्रकार है:

वर्ष	2008-09 तक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	योग
अनुच्छेदों की संख्या	10,702	1,520	1,402	1,661	1,386	1,250	17,921

बड़ी संख्या में अनुच्छेदों का बकाया होना तथा उनका निस्तारण नहीं होना यह दर्शाता है कि विभाग स्वयं के आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के द्वारा लिये गये आक्षेपों के निपटान की निगरानी नहीं कर रहा है।

यह सिफारिश की जाती है कि विभाग आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के द्वारा लिये गये आक्षेपों के समाधान के लिये शीघ्र प्रभावी कार्यवाही करें।

2.3 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सम्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2013-14 में 54 इकाइयों के वैट/बिक्री कर निर्धारणों एवं अन्य अभिलेखों की मापक जांच के दौरान 972 प्रकरणों में ₹ 85.70 करोड़ के कर अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमिततायें पायी गईं, जो तालिका में निम्नलिखित श्रेणियों में दर्शायी गयी है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	'कार्य संविदा पर वैट का आरोपण एवं संग्रहण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा	1	22.28
2.	कर का अवनिर्धारण	372	49.51
3.	त्रुटिपूर्ण विधिक प्रपत्र स्वीकार करना	109	3.18
4.	क्रय/विक्रय को छुपाने के कारण कर चोरी	22	1.98
5.	आगत कर क्रेडिट को अनियमित/गलत/अधिक स्वीकार करना	157	3.78
6.	अन्य अनियमिततायें		
	(i) राजस्व से सम्बन्धित	264	4.17
	(ii) व्यय से सम्बन्धित	47	0.80
	योग	972	85.70

वर्ष के दौरान, विभाग ने 608 प्रकरणों में ₹ 7.33 करोड़ के अविनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जो कि पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2013-14 के दौरान 145 प्रकरणों में ₹ 1.18 करोड़ वसूल किये गये।

लेखापरीक्षा द्वारा छः प्रकरणों में सरकार को ड्राफ्ट पैराग्राफ्स जारी किये जाने के पश्चात विभाग ने इनको स्वीकार करते हुए ₹ 36.54 लाख की सम्पूर्ण राशि वसूल कर ली। इस प्रतिवेदन में उक्त ड्राफ्ट पैराओं की चर्चा नहीं की गयी है।

‘कार्य संविदा पर मूल्य परिवर्धित कर (वैट) का आरोपण एवं संग्रहण’ पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा जिसमें सन्निहित राशि ₹ 22.28 करोड़ है एवं ₹ 9.79 करोड़ के लेखापरीक्षा आक्षेपों के कुछ उदाहरण अनुच्छेद संख्या 2.5 से 2.9 में दिये गये हैं।

2.4 'कार्य संविदा पर मूल्य परिवर्धित कर (वैट) का आरोपण एवं संग्रहण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्य बिन्दु

- कार्य संविदा की प्राप्तियों के वर्गीकरण के लिये पृथक से उप-शीर्ष नहीं था जिसके कारण कार्य संविदा से कुल प्राप्तियों के सम्बन्ध में विभाग के कार्य निष्पादन को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(अनुच्छेद 2.4.7)

- विवरणियों के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पाया कि गत तीन वर्षों की अवधि के दौरान औसतन 66 प्रतिशत व्यवहारियों ने या तो विवरणियां प्रस्तुत नहीं की थी या फिर शून्य टर्नओवर की विवरणियां प्रस्तुत की थी। विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने या शून्य टर्नओवर की विवरणियां प्रस्तुत करने के कारणों को जांचने के लिये विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया।
- लेखापरीक्षा ने पाया कि चार व्यवहारियों का कर निर्धारण शून्य टर्नओवर पर किया गया जबकि उनका टर्नओवर ₹ 91.20 करोड़ था, जिस पर कर दायित्व ₹ 1.57 करोड़ था।

(अनुच्छेद 2.4.8)

- अवार्डों से प्राप्त होने वाले प्रपत्र वैट-40 की प्राप्ति पर निगरानी हेतु तथा जहां ये प्राप्त हुए हों, वहां सम्बन्धित व्यवहारियों के पंजीयन एवं कर निर्धारण हेतु इन सूचनाओं के उपयोग के लिये कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी। 12 ठेकेदार जिनका कर दायित्व ₹ 93.80 लाख था विभाग में पंजीकृत नहीं पाये गये।

(अनुच्छेद 2.4.9)

- पांच वर्क्स कान्ट्रैक्ट एवं लीजिंग टेक्स (डब्ल्यू.टी.) वृत्तों के निर्धारण अधिकारियों द्वारा अवधि 2008-09 से 2012-13 के दौरान 41,767 प्रपत्र वैट-41, 527 अवार्डों को जारी किये गये, यद्यपि इन्हें जारी करने के लिये वे अधिकृत ही नहीं थे। पांच प्रकरणों में अवार्डों द्वारा स्रोत पर काटे गये कर (टी.डी.एस.) को विलम्ब से जमा कराने पर, उन पर ब्याज तथा शास्ति ₹ 32.97 लाख आरोपित नहीं की गयी जबकि एक अन्य प्रकरण में टी.डी.एस. ₹ 39.12 लाख कम जमा कराया गया।

(अनुच्छेद 2.4.10 तथा 2.4.11)

- नौ प्रकरणों में, उप-ठेकेदारों को करयोग्य टर्नओवर में से ₹ 79.76 करोड़ के टर्नओवर की छूट, मुख्य ठेकेदारों के द्वारा कर चुकाये जाने को सुनिश्चित किये बिना ही स्वीकार की गयी।

(अनुच्छेद 2.4.12)

- नौ मुख्य ठेकेदारों द्वारा उप-ठेकेदारों को भुगतान करते समय टी.डी.एस. राशि ₹ 2.39 करोड़ की कटौती नहीं की गयी। अभिलेखों में ऐसा कुछ नहीं पाया गया जिससे यह पता चल सके कि इस टर्नओवर पर मुख्य ठेकेदारों द्वारा कर चुकाया गया था।

(अनुच्छेद 2.4.12)

- निर्धारण अधिकारियों द्वारा करयोग्य टर्नओवर के निर्धारण के लिये राजस्थान वैट नियमों में बनायी गयी प्रक्रिया का सही अनुसरण नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप करयोग्य टर्नओवर का कम निर्धारण हुआ तथा इससे ब्याज ₹ 0.63 करोड़ सहित कर ₹ 2.39 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.4.13.1)

- करमुक्ति शुल्क की गलत दर लगाने के परिणामस्वरूप करमुक्ति शुल्क तथा ब्याज ₹ 12.85 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.4.14)

2.4.1 प्रस्तावना

मूल्य परिवर्धित कर (वैट) का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (राजस्थान वैट) अधिनियम, 2003 और इसके अन्तर्गत बने राजस्थान वैट नियम, 2006 द्वारा शासित होते हैं।

कार्य संविदा का आशय एक ऐसे अनुबन्ध से होता है जिसमें किसी चल अथवा अचल सम्पत्ति की एसेम्बलिंग, विनिर्माण, बिल्डिंग, अल्ट्रिंग, उत्पादन, प्रोसेसिंग, फेब्रिकेशन, इरेक्शन, स्थापना, फिटिंग, इम्प्लोवमेन्ट, मरम्मत या कमीशनिंग करने का कार्य शामिल हो। कार्य संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त माल का सम्पत्ति के रूप में हस्तान्तरण पर वैट आरोपणीय होता है। प्रत्येक ठेकेदार (जिसे व्यवहारी भी कहते हैं) जिसका वार्षिक टर्नओवर ₹ 10 लाख से अधिक हो, उसे राजस्थान वैट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। कार्य संविदायें अवार्डों द्वारा आवंटित की जाती हैं। अवार्डर का आशय ऐसे व्यक्ति से होता है जिसके लिये या जिसके हित में कार्य संविदा का निष्पादन किया गया है। अवार्डरों (जिन्हें आगे विशिष्ट अवार्डर कहा गया है) यथा: सरकारी विभाग, निगम, सार्वजनिक उपक्रम, सहकारी समिति, स्थानीय निकाय, वैधानिक निकाय, स्वायत्तशासी निकाय, ट्रस्ट अथवा निजी या सार्वजनिक कम्पनी, ठेकेदारों को किसी भी तरीके से राशि का भुगतान या क्रेडिट करते समय कर की कटौती करने हेतु उत्तरदायी होते हैं। स्रोत पर कर की कटौती (टी.डी.एस.) की दर तीन प्रतिशत है। हालांकि, विशिष्ट अवार्डरों के अलावा अन्य अवार्डरों हेतु टी.डी.एस. के कोई प्रावधान नहीं बनाये गये हैं।


राज्य सरकार ने कार्य संविदा के कुल मूल्य पर करमुक्ति शुल्क की दर निर्धारित (0.25 से 3 प्रतिशत तक) करते हुए ठेकेदारों हेतु एक करमुक्ति योजना प्रारम्भ (11 अगस्त 2006) की। ठेकेदार कार्य संविदा के निष्पादन में हस्तान्तरित माल पर राजस्थान वैट अधिनियम की अनुसूचियों में दर्शायी दरों के अनुसार कर चुका सकता है या करमुक्ति योजना को अपना सकता है। योजना के अन्तर्गत, ठेकेदारों द्वारा कार्यादेशों सहित प्रस्तुत आवेदनों के आधार पर निर्धारण अधिकारी करमुक्ति की राशि एवं दर को दर्शाते हुए करमुक्ति प्रमाण पत्र (ई.सी.) जारी करते हैं। ई.सी. के प्रकरण में, अवार्डर ई.सी. में अंकित करमुक्ति की दर से राशि की कटौती करेगा। अवार्डर द्वारा काटी गयी राशि को, कटौती के माह की समाप्ति के 15 दिन के भीतर जमा करवाया जायेगा। प्रत्येक पंजीकृत ठेकेदार अपना कर दायित्व का निर्धारण कर, निर्धारण प्राधिकारी को वैट विवरणी प्रस्तुत करेगा। अवार्डर द्वारा स्रोत पर काटी गयी राशि का समायोजन, ठेकेदार का कर निर्धारण करते समय कायम किये कर दायित्व के पेटे दिया जायेगा एवं तदनुसार वापसी या मांग कायमी आदेश जारी किया जायेगा।

2.4.2 संगठनात्मक ढांचा

सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार के नियन्त्रणाधीन रहते हुए, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान वैट एवं केन्द्रीय बिक्री कर प्राप्तियों का प्रशासन करते हैं। वाणिज्यिक कर विभाग (विभाग) को 15 संभागों में बांटा गया है। जयपुर-IV, पाली तथा करापवंचन संभागों के अलावा प्रत्येक संभाग में एक-एक वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टेक्स वृत्त है। इस प्रकार, राज्य में 12 वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टेक्स वृत्त (डब्ल्यू.टी.वृत्त) हैं।

संभाग स्तर पर उपायुक्त सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। कर के निर्धारण एवं वसूली का कार्य वृत्तों एवं घटों में पदस्थापित निर्धारण अधिकारियों यथा सहायक आयुक्तों/वाणिज्यिक कर अधिकारियों तथा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

संगठन चार्ट



2.4.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा करने का दृष्टिकोण:

- यह सुनिश्चित करना कि क्या राजस्थान वैट अधिनियम एवं नियमों में कार्य संविदा पर कर के लिये पंजीयन, निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण किये जाने के संबंध में पर्याप्त प्रावधान हैं तथा अधिनियम के प्रावधानों की व्यवहारियों/अवार्डों द्वारा की जा रही पालना के स्तर का मूल्यांकन करना;
- यह सुनिश्चित करना कि क्या विभाग द्वारा राज्य में किये जा रहे निर्माण कार्य का डाटाबेस संधारित किया जा रहा था तथा अपंजीकृत व्यवहारियों को पहचानने एवं अन्य उद्देश्यों के लिये इन सूचनाओं का उपयोग किया गया; और
- आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता को जांचना; था।

2.4.4 क्षेत्र एवं प्रक्रिया

‘कार्य संविदा पर वैट का आरोपण एवं संग्रहण’ पर निष्पादन लेखापरीक्षा में 2010-11 से 2012-13 की अवधि को शामिल किया गया, जिसमें वित्तीय वर्षों 2008-09 से 2010-11 तक के कर निर्धारणों को अन्तिम रूप दिया गया था। राज्य को 15 संभागों के 129 वृत्तों में बांटा गया है। ऐसे व्यवहारी, जिनका किसी लेखा वर्ष में सकल टर्नओवर का 50 प्रतिशत या ज्यादा कार्य संविदा तथा/या माल के लीजिंग से सम्बन्धित हों, तो उनका निर्धारण डब्ल्यू.टी. वृत्तों में होना आवश्यक है। 12 डब्ल्यू.टी. वृत्तों में से 6 डब्ल्यू.टी. वृत्तों का चयन ‘पुनः स्थापन सहित आकार के अनुरूप संभावना प्रतिचयन विधि’ से किया गया। ठेके देने वाले अन्य सरकारी विभागों यथा: उत्तर-पश्चिमी रेलवे, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग से भी लेखापरीक्षा द्वारा इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिये सूचनायें प्राप्त की गयीं।

2.4.5 लेखापरीक्षा के मापदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिये लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों और इसके अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओं के प्रावधानों से लिये गये:

राज्य कानून

- राजस्थान वैट अधिनियम, 2003; एवं
- राजस्थान वैट नियम, 2006;

केन्द्रीय कानून

- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956; एवं
- केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण एवं टर्नओवर) नियम, 1957 ।

¹ डब्ल्यू.टी.वृत्त-अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर-I, जयपुर-III, जोधपुर एवं श्रीगंगानगर।

2.4.6 आभार

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचनायें और अभिलेखों को उपलब्ध कराने के लिये वाणिज्यिक कर विभाग एवं उसके अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा दिये गये सहयोग के प्रति आभार प्रकट करता है। सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग तथा आयुक्त, वाणिज्यिक कर के साथ 6 मार्च 2014 को प्रारंभिक सभा की गयी, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, क्षेत्र तथा प्रणाली को स्पष्ट किया गया। तथ्यात्मक विवरण/ड्राफ्ट पैरा अगस्त/नवम्बर 2014 में सरकार तथा विभाग को भेजे गये। आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग के साथ एक समापन सभा 3 दिसम्बर 2014 को हुई, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गयी। समापन सभा के दौरान एवं अन्य समय पर प्राप्त जवाबों पर समुचित विचार कर सम्बन्धित अनुच्छेदों में शामिल किया गया।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

2.4.7 संविदा कार्य प्राप्तियों के लिये पृथक से उप-शीर्ष का नहीं होना

राजस्थान वैट को बजट शीर्ष 0040 'बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर' के अन्तर्गत जमा किया जाता है। जबकि, कार्य संविदा से प्राप्त कर को दर्शाने हेतु पृथक से उप-शीर्ष नहीं था। कार्य संविदा पर कर के आरोपण एवं संग्रहण हेतु 12 विशिष्ट डब्ल्यू.टी. वृत्त उत्तरदायी हैं। विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी डब्ल्यू.टी. वृत्तों की प्राप्तियां तालिका 2.4.7 में दर्शायी गयी है:

तालिका 2.4.7

(₹ करोड़ में)

वर्ष	डब्ल्यू.टी. वृत्तों द्वारा दर्शायी गयी प्राप्तियां	बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कुल कर	गत वर्ष की तुलना में बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर से प्राप्तियों में वृद्धि (प्रतिशत में)	गत वर्ष की तुलना में कार्य संविदा से प्राप्तियों में वृद्धि/कमी (प्रतिशत में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2009-10	353.29	9,681.38	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
2010-11	236.22	11,901.24	24.26	(-) 33.13
2011-12	245.66	14,665.63	24.84	4.00
2012-13	243.77	17,214.34	17.81	(-) 0.77
2013-14	284.54	19,834.72	14.22	16.72

उपरोक्त को देखने से ज्ञात होता है कि अवधि 2009-10 से 2013-14 के दौरान डब्ल्यू.टी. वृत्तों की प्राप्तियों का संग्रहण ₹ 353.29 करोड़ से कम होकर

₹ 284.54 करोड़ रह गया, अर्थात् 19.46 प्रतिशत की कमी हुई जबकि बिक्री, व्यापार इत्यादि से कर की कुल प्राप्तियों में वृद्धि हुई थी।

यह देखा गया कि इन 12 डब्ल्यू.टी. वृत्तों के अलावा अन्य नियमित कर निर्धारण वृत्तों द्वारा भी कार्य संविदाओं पर कर का निर्धारण एवं संग्रहण किया जा रहा था। इसके अलावा, अवार्डों भी कार्य संविदाओं से सम्बन्धित टी.डी.एस. को उनके क्षेत्राधिकार वाले नियमित वृत्तों में जमा करवा रहे थे। इसलिये, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि डब्ल्यू.टी. वृत्तों की कुल प्राप्तियां कार्य संविदाओं की समग्र प्राप्तियों को नहीं दर्शा रही थीं एवं ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा कार्य संविदा से प्राप्तियों के संग्रहण के निष्पादन को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। कार्य संविदा से प्राप्तियों के लिये एक पृथक उप-शीर्ष होने पर ऐसी प्राप्तियों की स्पष्ट एवं सही स्थिति प्रकट होती। इससे करमुक्ति शुल्क के वैज्ञानिक रूप से निर्धारण एवं समय-समय पर इसके पुनर्निर्धारण में मदद मिलती। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह सिफारिश की जाती है कि विभाग को कार्य संविदाओं की प्राप्तियों को दर्शाने हेतु पृथक उप-शीर्ष की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने समापन सभा के दौरान लेखापरीक्षा के मत को स्वीकार किया तथा कार्य संविदाओं की प्राप्तियों को दर्शाने हेतु पृथक उप-शीर्ष की संभावना को जांचने के लिये आश्वस्त किया।

2.4.8 पंजीकृत व्यवहारियों द्वारा विवरणियों के प्रस्तुतीकरण का विश्लेषण

विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचनाओं से ज्ञात होता है कि डब्ल्यू.टी. वृत्तों में पंजीकृत व्यवहारियों में से औसतन 66 प्रतिशत व्यवहारियों ने निर्धारण वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिये विवरणियां या तो प्रस्तुत ही नहीं की अथवा शून्य टर्नओवर की विवरणियां प्रस्तुत की, जैसा कि तालिका 2.4.8 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.4.8

वर्ष	व्यवहारियों की कुल संख्या जो				
	विभाग में पंजीकृत थे	विवरणियां प्रस्तुत कर रहे थे	विवरणियां प्रस्तुत नहीं कर रहे थे	शून्य टर्नओवर की विवरणियां प्रस्तुत कर रहे थे	विवरणियां प्रस्तुत नहीं की अथवा शून्य टर्नओवर की प्रस्तुत की (4+5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010-11	10,819	5,122	5,697	1,726	7,423
2011-12	11,548	10,390	1,158	6,167	7,325
2012-13	12,024	10,486	1,538	6,518	8,056
तीन वर्षों का औसत	11,464	8,666	2,798	4,804	7,601
कॉलम क्रमांक 2 से प्रतिशत		76	24	42	66

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 24 प्रतिशत व्यवहारियों ने 2010-11 से 2012-13 की अवधि की अपनी विवरणियां प्रस्तुत नहीं की।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने ऐसे व्यवहारियों जिन्होंने वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के लिये विवरणियां प्रस्तुत नहीं की थी, का पंजीयन निरस्त करने हेतु निर्देश (24 जुलाई 2007) जारी किये। इसके पश्चात् ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किये गये। व्यवहारियों द्वारा विवरणियां प्रस्तुत करने में इसके पश्चात् भी निरंतर चूक की जाती रही, किन्तु विभाग द्वारा विवरणियां मांगने के लिये या यह जांचने के लिये कि क्या व्यवहारियों द्वारा उनका व्यवसाय बन्द तो नहीं कर दिया गया अथवा व्यवसाय छद्म रूप से तो नहीं किया जा रहा है, कोई कार्यवाही नहीं की गयी। ऐसे प्रकरणों में करवंचना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

तालिका 2.4.8 की जांच से यह भी ज्ञात होता है कि औसतन 42 प्रतिशत व्यवहारियों ने शून्य टर्नओवर की विवरणियां प्रस्तुत की। यह पाया गया कि विभाग ने विवरणियों की सत्यता की जांच करने के लिये अवार्डर से सूचनाएं प्राप्त करने अथवा उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया। व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों को ऑडिट रिपोर्ट एवं अवार्डर्स द्वारा जारी वैट-41² प्रमाण पत्रों से मिलान करने पर टर्नओवर घोषित करने में अनेक विसंगतियां पायी गयीं। टर्नओवर को नहीं दर्शाने/कम दर्शाने के कुछ उदाहरणों की आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है:

- डब्ल्यू.टी. वृत्त, जोधपुर में, एक व्यवहारी (एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी) ने वर्ष 2009-10 के लिये शून्य टर्नओवर की विवरणी प्रस्तुत की। व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत विवरणी के आधार पर निर्धारण अधिकारी ने शून्य टर्नओवर पर निर्धारण किया। अवार्डर (महाराणा प्रताप एयरपोर्ट अथॉरिटी, उदयपुर) के क्षेत्राधिकार³ प्राधिकारी से प्राप्त सूचनाओं की जांच में पाया गया कि व्यवहारी को वर्ष 2009-10 की अवधि में कार्य संविदा के निष्पादन करने पर ₹ 3.94 करोड़ का भुगतान प्राप्त हुआ था। इस प्रकार, व्यवहारी द्वारा इस वर्ष का टर्नओवर शून्य दर्शाया जाना गलत था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.94 करोड़ का टर्नओवर छिपाया गया जिसका कर दायित्व ₹ 5.91 लाख था। व्यवहारी, छिपाये गये टर्नओवर पर ब्याज एवं शास्ति चुकाने का दायी था।

- डब्ल्यू.टी. वृत्त, जोधपुर में, एक व्यवहारी (एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी) को ₹ 3.31 करोड़ मूल्य की तीन कार्य संविदाएँ दी गयी। व्यवहारी ने शुल्कमुक्ति योजना, 2006 के अन्तर्गत कर चुकाने के लिये आवेदन किया तथा निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 2009-10 के दौरान इन कार्यों के लिये तीन प्रतिशत की दर से ई.सी. जारी की।

² फार्म वैट-41 में संविदा के सभी विवरण होते हैं यथा: संविदा की तिथि, संविदा की प्रकृति, संविदा का मूल्य, स्रोत पर काटी गयी राशि, उसके जमा की दिनांक एवं वाउचर नम्बर इत्यादि।

³ क्षेत्राधिकार प्राधिकारी का आशय विभाग के उस कार्यालय से है जिसके क्षेत्राधिकार में अवार्डर का कार्यालय स्थित है।

परन्तु, व्यवहारी ने वर्ष 2009-10 के लिये शून्य टर्नओवर की विवरणी प्रस्तुत की। निर्धारण अधिकारी ने भी व्यवहारी का शून्य टर्नओवर पर निर्धारण किया तथा कोई मांग पत्र जारी नहीं किया। जबकि, व्यवहारी की वैट ऑडिट रिपोर्ट से मिलान करने पर पाया गया कि व्यवहारी ने कार्य संविदा का निष्पादन कर सम्बन्धित वर्ष के दौरान ₹ 2.62 करोड़ की राशि प्राप्त की। इसके परिणामस्वरूप कर ₹ 7.85 लाख का आरोपण नहीं हुआ। इसके अलावा, व्यवहारी ने वर्ष 2010-11 के लिये विवरणी प्रस्तुत नहीं की तथा शेष कार्य ₹ 69 लाख पर करमुक्ति शुल्क के भुगतान को सुनिश्चित किये बिना ही निर्धारण अधिकारी ने शून्य टर्नओवर का निर्धारण कर दिया।

- डब्ल्यू.टी. वृत्त, जयपुर-1 के दो व्यवहारियों के निर्धारण अभिलेखों की जांच में पाया कि इन व्यवहारियों ने टर्नओवर ₹ 84.64 करोड़ तथा कर दायित्व ₹ 1.43 करोड़ दर्शाते हुए वर्ष 2010-11 के लिए ऑनलाइन विवरणियां प्रस्तुत की। फिर भी, निर्धारण अधिकारी ने इन विवरणियों पर विचार किये बिना ही व्यवहारियों का निर्धारण शून्य टर्नओवर पर कर दिया। इसके परिणामस्वरूप कर ₹ 1.43 करोड़ का आरोपण नहीं हुआ।

सरकार ने सूचित किया (नवम्बर 2014) कि इन ठेकेदारों के संशोधित निर्धारण आदेश पारित किये जा चुके हैं तथा वसूली की स्थिति से अवगत करा दिया जावेगा। इस राशि की वसूली की आगामी प्रगति की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

2.4.9 अपंजीकृत व्यवहारियों को तलाशने की प्रणाली का अभाव

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 11, में कहा गया है कि यदि कोई व्यवहारी इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन हेतु दायी होने पर भी पंजीयन के लिये आवेदन नहीं करता है तो पंजीयन प्राधिकारी उसे उस दिन से, जब वह इस अधिनियम के अन्तर्गत कर चुकाने का दायी हुआ हो, व्यवहारी के रूप में पंजीकृत करने की कार्यवाही करेगा।

राजस्थान वैट नियमों के नियम 40(1) के अनुसार, जब कोई ठेकेदार किसी अवार्डर से संविदा करता है तथा ऐसी संविदा का सकल मूल्य ₹ पाँच लाख से अधिक हो तो, अवार्डर संविदा की तिथि से एक माह के भीतर प्रपत्र वैट-40 में संविदा का विवरण अपने क्षेत्र के प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा साथ ही प्रपत्र वैट-40 की एक प्रति ठेकेदार के निर्धारण अधिकारी को भी भेजेगा।

लेखापरीक्षा जांच में पाया कि अवार्डरों से प्रपत्र वैट-40 की प्राप्ति पर निगरानी रखे जाने हेतु विभाग में कोई प्रणाली लागू नहीं थी। इसके अलावा, जहां अवार्डरों से ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, वहां ऐसे संव्यवहारों का डाटा संधारित करने और इनका उपयोग सम्बन्धित व्यवहारियों के पंजीयन तथा निर्धारण करने हेतु, कोई प्रणाली नहीं थी। लेखापरीक्षा ने विभाग में उपलब्ध आंकड़ों तथा तीन राजकीय विभागों द्वारा जारी कार्य संविदाओं (उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा 38, केन्द्रीय लोक

निर्माण विभाग द्वारा 18 तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 21) से प्राप्त आंकड़ों का मिलान राजटेक्स⁴ पर उपलब्ध आंकड़ों से किया। उनके निष्कर्ष आगामी अनुच्छेदों में दशाये गये हैं:

ठेकेदारों का पंजीयन

2.4.9.1 व्यवहारियों के पंजीयन के लिये निगरानी प्रणाली का अभाव

उत्तर पश्चिम रेलवे ने वैट-40 प्रपत्र में कोई विवरणी विभाग को प्रस्तुत नहीं की। लेखापरीक्षा ने 38 ठेकेदारों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त की तथा पाया कि छः ठेकेदारों का टर्नओवर वर्ष 2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान पंजीयन कराने की निर्दिष्ट सीमा (₹ दस लाख) से अधिक हो गया था। यद्यपि ये ठेकेदार राजस्थान वैट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन हेतु दायी थे परन्तु राजटेक्स पर पंजीकृत नहीं पाये गये। इन ठेकेदारों ने कुल भुगतान ₹ 19.99 करोड़ प्राप्त किया जिस पर कर दायित्व ₹ 59.97 लाख था। इस प्रकार, वैट-40 प्रपत्र की प्राप्ति पर निगरानी रखने की प्रणाली के अभाव के परिणामस्वरूप व्यवहारियों का पंजीयन नहीं हुआ तथा कर की वंचना हुई।

2.4.9.2 अवार्डों से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग नहीं किया जाना

लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि एक अवार्डर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने 18 कार्य संविदाओं के टी.डी.एस. के विवरण, जनवरी 2011 तथा दिसम्बर 2013 के मध्य, डब्ल्यू.टी. वृत्त जयपुर-II को प्रस्तुत किये। इन विवरण पत्रों में ठेकेदारों को भुगतान की गयी राशि को दर्शाया गया था। विभाग ने व्यवहारियों के पंजीकृत होने को सुनिश्चित करने के लिये इन आंकड़ों का राजटेक्स सॉफ्टवेयर से मिलान करने का कोई प्रयास नहीं किया। लेखापरीक्षा ने इन सूचनाओं का मिलान राजटेक्स से किया तथा पाया कि 18 में से 6 ठेकेदारों का टर्नओवर पंजीयन कराये जाने हेतु आवश्यक निर्दिष्ट सीमा (₹ दस लाख) से अधिक हो गया था। फिर भी, वे व्यवहारी राजस्थान वैट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं थे। इन ठेकेदारों द्वारा जनवरी 2009 से दिसम्बर 2013 की अवधि में राशि ₹ 22.55 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया जिस पर कर दायित्व ₹ 33.83 लाख था।

इससे दर्शित होता है कि विभाग ने उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग व्यवहारियों का पंजीयन करने हेतु नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप कर की वंचना हुई।

2.4.9.3 अपंजीकृत ठेकेदारों को तलाशने एवं कर का दायरा बढ़ाने के लिए सर्वे एक महत्वपूर्ण तकनीक है। यह पाया गया कि मापक जांच के छः वृत्तों द्वारा 2009-10 से 2012-13 की अवधि में ठेकेदारों को पहचानने/पंजीयन करने हेतु कोई सर्वे नहीं किया गया।

राजस्थान वैट अधिनियम के अन्तर्गत, यदि व्यवहारी का टर्नओवर एक बार निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाये तो उन्हें स्वयं ही पंजीयन कराना होता है, किन्तु कई

⁴ वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान की विभागीय वेबसाइट।

बार इसका उल्लंघन होना पाया गया तथा कई व्यवहारी कर के दायरे से बाहर रह गये। अपंजीकृत ठेकेदारों के प्रकरण में टी.डी.एस. की उच्चतर दर के प्रावधान जैसे कठोर उपाय निर्दिष्ट किये जायें, जैसे कि दिल्ली तथा महाराष्ट्र वैट अधिनियम में किये गये हैं।

इसे ध्यान में लाये जाने पर, समापन सभा में आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने बताया कि अवार्डों द्वारा दिये गये कार्य संविदाओं के विवरण को दर्शाने वाली विवरणी ऑनलाइन प्रस्तुत करने हेतु राजस्थान वैट नियमों को संशोधित (जुलाई 2014) कर दिया गया है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने यह भी बताया कि अपंजीकृत ठेकेदारों के प्रकरणों में टी.डी.एस. की उच्चतर दर से सम्बन्धित सुझाव पर सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

अवार्डों का पंजीयन

2.4.9.4 राजस्थान वैट अधिनियम में स्रोत पर कर की कटौती, अवार्डर द्वारा इसे समय पर सरकारी खाते में जमा कराने तथा वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन होने के मामले में अवार्डर पर शास्ति के प्रावधान है। फिर भी, अवार्डरों के कर दायित्व को सुनिश्चित करने हेतु उन्हें 'टैक्स डिडक्शन एकाउन्ट नम्बर' जारी किये जाने हेतु कोई प्रावधान राजस्थान वैट अधिनियम में नहीं किये गये जैसे कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203ए में किये गये हैं कि कर कटौती करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 'टैक्स डिडक्शन एकाउन्ट नम्बर' जारी किया जायेगा।

इसे ध्यान में लाये जाने पर (दिसम्बर 2013), आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा समापन सभा में बताया गया कि नियम 40 में अब संशोधन (जुलाई 2014) किया जा चुका है एवं अवार्डरों के पंजीकरण के लिये प्रावधान किये जा चुके हैं।

स्रोत पर कर की कटौती

2.4.10 खाली टी.डी.एस. फार्मों को जारी करने में प्रणाली का अनुसरण नहीं किया जाना

राजस्थान वैट नियमों के नियम 40(3)(ए) में प्रावधान है कि अवार्डर अपने क्षेत्र के सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी से खाली प्रपत्र वैट-41 (टी.डी.एस. प्रमाण पत्र फार्म) प्राप्त करेगा। आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने यह भी निर्देशित किया (जुलाई 2013) कि अवार्डर्स टी.डी.एस. प्रमाण पत्र फार्म केवल अपने क्षेत्र के प्राधिकृत अधिकारी से ही प्राप्त करेंगे।

- मापक जांच किये गये छः डब्ल्यू.टी. वृत्तों के फार्म जारी करने की पंजिकाओं की जांच में पाया गया कि 2008-09 से 2012-13 के दौरान पांच डब्ल्यू.टी. वृत्तों ने 527 अवार्डरों को 41,767 वैट-41 प्रपत्र जारी किये, यद्यपि वे,

⁵ डब्ल्यू.टी.वृत्त-भीलवाड़ा, जयपुर-I, जयपुर-III, जोधपुर एवं श्रीगंगानगर।

इन्हें जारी करने हेतु अधिकृत ही नहीं थे। अवार्डरों द्वारा इनको अपने नियमित वृत्तों से प्राप्त किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, इन अवार्डरों को ये प्रपत्र जारी करना अनियमित था। चूंकि अवार्डरों का राजस्थान वैट अधिनियम में पंजीयन होने के प्रावधान नहीं थे। अतः उनके द्वारा टी.डी.एस. का सही एवं समय पर जमा कराना सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

- डब्ल्यू.टी. वृत्त जयपुर-1 की जांच में पाया कि वृत्त द्वारा एक बिल्डर/डवलपर को 350 वैट-41 प्रपत्र जारी किये गये, जबकि बिल्डर/डवलपर पर इस वृत्त का क्षेत्राधिकार ही नहीं था। यह पाया गया कि प्रपत्र जारी करने के पश्चात् डब्ल्यू.टी. वृत्त, जयपुर-1 द्वारा न तो बिल्डर/डवलपर के कर दायित्व के सम्बन्ध में कोई पूछताछ की गयी, ना ही टी.डी.एस. राशि का समय पर जमा कराया जाना सुनिश्चित करने हेतु कोई आदेश ही पारित किया गया। इन प्रपत्रों के बारे में वृत्त-जी, जयपुर को भी सूचना नहीं भेजी गयी, जिससे ये सम्बन्धित थे। परिणामस्वरूप, नियमित वृत्त भी कर दायित्व पर निगरानी रखने में असफल रहा। इस बिल्डर/डवलपर द्वारा प्रस्तुत वैट-42 की जांच में पाया गया कि बिल्डर/डवलपर द्वारा ₹ 88.05 लाख की राशि टी.डी.एस. के रूप में काटी गयी थी, किन्तु ₹ 48.93 लाख मात्र ही जमा कराये गये। इस प्रकार, ₹ 39.12 लाख की टी.डी.एस. राशि कम जमा करायी गयी।

इसे ध्यान में लाये जाने पर (दिसम्बर 2013), आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने समापन सभा में बताया कि नियम 40 को संशोधित (जुलाई 2014) किया जा चुका है तथा यह स्पष्ट कर दिया है कि अवार्डरों द्वारा टी.डी.एस. प्रमाण-पत्र फार्म केवल उनके क्षेत्र के प्राधिकृत अधिकारी से ही प्राप्त किये जावें। किन्तु, जवाब में इस प्रकरण में वसूली के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया गया।

2.4.11 टी.डी.एस. को विलम्ब से जमा कराने पर शास्ति का अनारोपण

2.4.11.1 राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 55 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति आरोपणीय या देय कर की किसी राशि को निर्धारित समय में भुगतान करने में चूक करता है, तो वह विलम्ब हेतु ऐसी राशि पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज चुकाने का दायी होगा तथा राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 63(1) के अनुसार, जब कोई अवार्डर निर्दिष्ट समय में टी.डी.एस. राशि जमा कराने में असफल रहता है, तो वह टी.डी.एस. राशि जमा कराने के साथ-साथ विलम्ब से जमा कराई गई टी.डी.एस. राशि पर दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से शास्ति चुकाने का दायी होगा।

• तीन डब्ल्यू.टी. वृत्तों⁶ के निर्धारण अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ कि चार अवार्डरों⁷ द्वारा ₹ 4.35 करोड़ की टी.डी.एस. राशि 1 से 742 दिनों तक के विलम्ब से जमा करायी थी। यद्यपि इन अवार्डरों ने जारी टी.डी.एस. प्रमाण-पत्रों में टी.डी.एस. कटौती किये जाने तथा जमा कराने की तिथि दर्शायी थी, लेकिन निर्धारण अधिकारी ने विलम्ब से जमा कराने पर ₹ 24.45 लाख के ब्याज एवं शास्ति का आरोपण नहीं किया।

सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि एक अवार्डर के विरुद्ध ₹ 1.86 लाख की मांग कायम कर दी गयी थी। अन्य प्रकरणों में जवाब प्रतीक्षित रहा (नवम्बर 2014)।

• एक अवार्डर (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग) द्वारा टी.डी.एस. राशि के जमा की सूचना प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि अवार्डर ने वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान टी.डी.एस. राशि ₹ 93.98 लाख को 2 से 256 दिन के बीच विलम्ब से जमा कराया था। अवार्डर ने टी.डी.एस. जमा के विवरण भी डब्ल्यू.टी. वृत्त जयपुर-II को प्रस्तुत किये थे। इसके बावजूद, निर्धारण अधिकारी ने टी.डी.एस. को विलम्ब से जमा कराने पर ₹ 8.52 लाख के ब्याज एवं शास्ति का आरोपण नहीं किया।

• चार डब्ल्यू.टी. वृत्तों⁸ के निर्धारण अभिलेखों की जांच में पाया कि 13 अवार्डरों द्वारा जारी कर राशि ₹ 2.83 करोड़ के 17 टी.डी.एस. प्रमाण-पत्र अपूर्ण थे जिनमें या तो ठेकेदार को किये गए भुगतान की तिथि या टी.डी.एस. राशि को राजकोष में जमा कराने की तिथि अंकित नहीं थी। निर्धारण अधिकारी द्वारा अपूर्ण प्रमाण-पत्रों को स्वीकार किया गया तथा इन अपूर्ण प्रमाण-पत्रों पर कर का समायोजन दिया गया। इस प्रकार जमा की सत्यता एवं समयबद्धता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि एक अवार्डर के विरुद्ध ₹ 1.41 लाख की मांग कायम की जा चुकी थी। अन्य प्रकरणों में जवाब प्रतीक्षित रहा (नवम्बर 2014)।

• मापक जांच में किये गये पाँच डब्ल्यू.टी. वृत्तों⁹ के निर्धारण अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ कि 28 अवार्डरों ने ₹ 6.36 करोड़ के संव्यवहारों को सम्मिलित कर 58 टी.डी.एस. प्रमाण-पत्र जारी किये। इन प्रमाण-पत्रों को यद्यपि मासिक आधार पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, किन्तु ये 2 से 12 माह बाद विलम्ब से प्रस्तुत किये गए। इसी प्रकार, दो अवार्डरों (उत्तर पश्चिम रेलवे तथा केन्द्रीय लोक

⁶ डब्ल्यू.टी.वृत्त- अजमेर, जोधपुर एवं श्रीगंगानगर।

⁷ मैसर्स सोमा आइसोलक्स किशनगढ़-ब्यावर टोलवे प्रा.लि., मैसर्स नेशनल बिल्डिंग कन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन लि., मैसर्स किशनगढ़ हाईटेक टैक्सटाइल्स प्रा.लि. तथा एस.ई., मिनिस्ट्री ऑफ रोड, ट्रान्सपोर्ट एण्ड हाईवे, भारत सरकार, जयपुर।

⁸ डब्ल्यू.टी.वृत्त- अजमेर, जयपुर-I, जोधपुर एवं श्रीगंगानगर।

⁹ डब्ल्यू.टी.वृत्त- भीलवाड़ा, जयपुर-I, जयपुर-III, जोधपुर एवं श्रीगंगानगर।

निर्माण विभाग) ने ये प्रमाण-पत्र क्षेत्र के प्राधिकृत अधिकारियों को प्रस्तुत ही नहीं किये। फिर भी, राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत चूक की अवधि के लिए ₹ 25 प्रतिदिन की दर से आरोपणीय शास्ति, आरोपित नहीं की गयी।

2.4.11.2 राजस्थान वैट नियमों के नियम 40 के अनुसार, अवार्डर, विभाग के क्षेत्राधिकारी कार्यालय से वैट-41 प्रपत्र प्राप्त कर, ठेकेदार को टी.डी.एस. प्रमाण-पत्र जारी करेगा तथा उसकी एक प्रति जारी करने वाले प्राधिकारी को भी भेजेगा। जारी करने वाला प्राधिकारी ऐसे प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के पश्चात्, टी.डी.एस. राशि का राजकोष में जमा होने का सत्यापन करेगा तथा इसे शीघ्र ठेकेदार के निर्धारण अधिकारी को भेजेगा। निर्धारण अधिकारी ठेकेदार के कर निर्धारण के समय कायम की गई मांग के विरुद्ध ऐसी सत्यापित टी.डी.एस. राशि को समायोजित करेगा।

पाँच डब्ल्यू.टी. वृत्तों¹⁰ के 18 ठेकेदारों के निर्धारण अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निर्धारण अधिकारियों ने इन ठेकेदारों का कर निर्धारण करते समय ₹ 21.26 करोड़ के टी.डी.एस. का समायोजन, जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा सरकारी खाते में कर के जमा होने का सत्यापन प्राप्त किये बगैर ही दे दिया।

डब्ल्यू.टी. वृत्त, जयपुर-III के एक अन्य प्रकरण में निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के कर निर्धारण करते समय ₹ 21.62 लाख राशि का टी.डी.एस. प्रमाण-पत्र निर्दिष्ट वैट-41 प्रपत्र के बजाय सादे कागज पर स्वयं मुद्रित प्रमाण-पत्र पर स्वीकार कर लिया गया।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने समापन सभा में बताया कि टी.डी.एस. का समायोजन उसके सत्यापन किये जाने के बाद ही स्वीकार करने तथा दोषी अवार्डरों पर ब्याज एवं शास्ति आरोपित करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने आगे बताया कि टी.डी.एस. प्रपत्रों को जारी करने के लिये ऑनलाइन प्रणाली प्रारम्भ की गई है।

2.4.12 उप-ठेकों पर कर दायित्व का सत्यापन करने की प्रणाली का अभाव

राजस्थान वैट नियमों के नियम 22(2ए) के प्रावधान के अनुसार जहां एक मुख्य ठेकेदार कार्य संविदा पर करमुक्ति शुल्क चुकाने का विकल्प लेता है एवं ऐसे ठेके का सम्पूर्ण अथवा उसका भाग उप-ठेकेदार को प्रदान करता है तो ऐसे संव्यवहार का टर्नओवर उप-ठेकेदार के कुल टर्नओवर में से घटाया जायेगा। राजस्थान वैट अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान सम्मिलित नहीं किया गया था, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उप-ठेकेदार के कुल टर्नओवर में से इसकी छूट देने से पूर्व उप-ठेके के इस टर्नओवर पर मुख्य ठेकेदार द्वारा कर चुका दिया गया है। उप-ठेके के कर दायित्व का सत्यापन करने वाली प्रणाली के अभाव पर प्रकाश डालने वाले कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं:

¹⁰ डब्ल्यू.टी.वृत्त- अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर-1, जोधपुर एवं श्रीगंगानगर।

2.4.12.1 तीन डब्ल्यू.टी. वृत्तों¹¹ के निर्धारण अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि निर्धारण अधिकारियों ने नौ उप-ठेकेदारों को वर्ष 2009-10 से 2010-11 के लिये ₹ 79.76 करोड़ के करयोग्य टर्नओवर से छूट मुख्य ठेकेदारों द्वारा कर चुकाये जाने को सुनिश्चित किये बगैर ही दे दी। संव्यवहारों का सत्यापन नहीं करने से करों का भुगतान नहीं होने की संभावना बनी रहती है।

2.4.12.2 चार डब्ल्यू.टी. वृत्तों¹² के निर्धारण अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अवधि 2008-09 से 2010-11 में, 10 में से 9 मुख्य ठेकेदारों ने उप-ठेकेदारों को ₹ 79.76 करोड़ का भुगतान करते समय ₹ 2.39 करोड़ की टी.डी.एस. राशि की कटौती नहीं की। मुख्य ठेकेदारों द्वारा टी.डी.एस. राशि ₹ 2.39 करोड़ चुकाये जाने सम्बन्धी साक्ष्य अभिलेखों में नहीं पाये गये।

2.4.12.3 यह पाया गया कि डब्ल्यू.टी. वृत्त, जोधपुर के एक उप-ठेकेदार ने डब्ल्यू.टी. वृत्त अजमेर के एक मुख्य ठेकेदार से वर्ष 2010-11 की अवधि में ₹ 15.77 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया। उप-ठेकेदार ने सूचित किया कि कार्य संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त समस्त माल मुख्य ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किया गया तथा आपूर्ति किये गये माल की कीमत उसे भुगतान करते समय काट ली गयी थी। ऐसी स्थिति में मुख्य ठेकेदार द्वारा कर चुकाया जाना चाहिए था। जबकि, मुख्य ठेकेदार के निर्धारण अभिलेखों से पाया गया कि उसने इन संव्यवहारों पर कर का भुगतान नहीं किया था जो कर के भुगतान नहीं होने को दर्शाता है।

मुख्य ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किये गये माल की कीमत मुख्य ठेकेदार तथा उप-ठेकेदार के निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप कर से वंचित टर्नओवर पर देय कर की राशि की गणना नहीं की जा सकी।

उप-ठेकेदार को टर्नओवर में से छूट देने से पूर्व मुख्य ठेकेदार द्वारा इस पर कर चुकाये जाने को सुनिश्चित करने का प्रावधान महाराष्ट्र (वैट अधिनियम की धारा 45) में विद्यमान है। सरकार को राजस्थान वैट अधिनियम के लिये भी समान प्रावधान पर विचार करना चाहिए।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने समापन सभा में लेखापरीक्षा के मत को स्वीकार किया तथा बताया कि उप-ठेकेदार के कर दायित्व को सुनिश्चित करने के मामले को बजट 2015-16 के समय ध्यान में रखा जायेगा।

2.4.13 टर्नओवर का कम निर्धारण

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 4(1) तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 6, करयोग्य टर्नओवर पर कर आरोपित करने का प्रावधान करती है। इसके अलावा, राजस्थान वैट नियमों के नियम 22(2) के अनुसार, कार्य संविदा के प्रकरण में, करयोग्य टर्नओवर की गणना करते समय, संविदा के कुल मूल्य में से

¹¹ डब्ल्यू.टी.वृत्त-अजमेर, जयपुर-I एवं श्रीगंगानगर।

¹² डब्ल्यू.टी.वृत्त-अजमेर, जयपुर-I, जोधपुर एवं श्रीगंगानगर।

मजदूरी राशि को घटाया जायेगा। साथ ही, इस नियम के अन्तर्गत दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, जहां कार्य संविदा के लेखों से मजदूरी की राशि को निश्चित नहीं किया जा सके, तो निर्धारण अधिकारी मजदूरी खर्चों की छूट राजस्थान वैट नियमों में दिये गये मापदण्ड के अनुसार अनुमत्य करेगा।

2.4.13.1 तीन डब्ल्यू.टी. वृत्तों¹³ के पांच ठेकेदारों के निर्धारण अभिलेखों अवधि 2008-09 से 2010-11 की जांच के दौरान देखा गया कि निर्धारण अधिकारियों ने करयोग्य टर्नओवर की गणना, ठेकेदारों द्वारा खरीदे गये माल के मूल्य में एक निश्चित प्रतिशत लाभांश जोड़कर की तथा राजस्थान वैट नियमों में बनायी गयी करयोग्य टर्नओवर की गणना करने की प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, करयोग्य टर्नओवर का नीचे दर्शाये अनुसार कम निर्धारण हुआ:

(₹ करोड़ में)

व्यवहारियों का नाम	कार्य संविदाओं की कुल प्राप्तियां	राजस्थान वैट नियमों ¹⁴ के अनुसार करयोग्य टर्नओवर की गणना	निर्धारण अधिकारी ¹⁵ द्वारा गणना किया गया करयोग्य टर्नओवर	निर्धारण अधिकारी द्वारा करयोग्य टर्नओवर का कम निर्धारण	कर का कम आरोपण	ब्याज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अ	180.77	108.91	94.23	14.68	0.62	0.25
ब	32.02	22.41	16.66	5.75	0.23	0.10
स	7.53	5.27	4.58	0.69	0.03	0.01
द	76.32	35.06	32.49	2.57	0.10	0.04
इ	38.47	26.93	11.37	15.56	0.78	0.23
योग	335.11	198.58	159.33	39.25	1.76	0.63

करयोग्य टर्नओवर के कम निर्धारण किये जाने के परिणामस्वरूप कर ₹ 1.76 करोड़ एवं ब्याज ₹ 0.63 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

2.4.13.2 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 6(2) दर्शाती है कि अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में ट्रांजिट बिक्री तब तक करमुक्त नहीं होगी जब तक की विक्रय करने वाला व्यवहारी एक घोषणा पत्र (प्रपत्र ई-1) उस पंजीकृत व्यवहारी का जिससे माल क्रय किया है तथा दूसरा घोषणा पत्र (प्रपत्र-सी) उस पंजीकृत व्यवहारी का जिसे माल विक्रय किया है, प्रस्तुत नहीं कर दें।

¹³ डब्ल्यू.टी.वृत्त-भीलवाड़ा, जयपुर-1 तथा जोधपुर।

¹⁴ जहां मजदूरी तथा अन्य खर्चों का विवरण प्रस्तुत किया गया था तो कुल प्राप्तियों में से अनुमत्य खर्चों को घटाया जाकर करयोग्य टर्नओवर की गणना की गयी तथा जहां विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया तो कुल प्राप्तियों में से मजदूरी एवं अन्य खर्चों के लिये 30 प्रतिशत राशि घटायी गयी।

¹⁵ निर्धारण अधिकारी द्वारा करयोग्य टर्नओवर को निश्चित करते समय ठेकेदारों द्वारा की गयी माल की खरीद की कीमत में लाभ का एक निश्चित प्रतिशत जोड़ा गया।

डब्ल्यू.टी. वृत्त भीलवाड़ा, के निर्धारण अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि एक ठेकेदार ने ₹ 74.21 करोड़ का माल खरीदा तथा इस माल की बिक्री ₹ 162.86 करोड़ में कर दी। ठेकेदार ने इस माल की ट्रांजिट बिक्री करने पर, कर से छूट का दावा किया। परन्तु ठेकेदार ने ₹ 13.34 करोड़ की खरीद राशि के ई-1 प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार, इस माल को ₹ 55.60 करोड़ में बेचा गया। इसके अनुसार, ₹ 1.11 करोड़ का कर आरोपणीय था। परन्तु, निर्धारण करते समय निर्धारण अधिकारी द्वारा माल के खरीद मूल्य (₹ 13.34 करोड़) पर ₹ 26.64 लाख का कर आरोपित किया गया। इसके परिणामस्वरूप कर ₹ 0.84 करोड़ एवं ब्याज ₹ 35.52 लाख का कम आरोपण हुआ।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने समापन सभा में बताया कि राजस्थान वैट नियमों की पालना करने के लिये निर्धारण अधिकारी को निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

करमुक्ति योजना

2.4.14 करमुक्ति शुल्क का कम आरोपण

राज्य सरकार ने एक अधिसूचना (11 अगस्त 2006) जारी कर कार्य संविदा करने वाले पंजीकृत ठेकेदारों को कार्य संविदा के निष्पादन के दौरान स्थानान्तरित सम्पत्ति में प्रयुक्त माल पर आरोपणीय कर के भुगतान पर छूट इस शर्त पर दी कि निर्धारण अधिकारी ई.सी. जारी करेगा तथा ऐसे ठेकेदार नीचे दर्शायी दरों पर करमुक्ति शुल्क का भुगतान करेंगे:

क्र.सं.	कार्य संविदा का विवरण	करमुक्ति शुल्क की दर (संविदा के कुल मूल्य का प्रतिशत)
1.	कार्य संविदा जहां सामग्री की लागत कुल संविदा मूल्य के पांच प्रतिशत से अधिक न हो (9 मार्च 2010 से प्रभावी)।	0.25 प्रतिशत
2.	भवन, सड़क, पुल, बाँध, सीवरेज सिस्टम।	1.50 प्रतिशत
3.	पी.एस.पी.ओ. सहित प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना, वॉटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, माल सहित पाईप लाइन बिछाना।	2.25 प्रतिशत
4.	उपरोक्त मदों में सम्मिलित कार्य संविदा के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार की कार्य संविदा।	3.00 प्रतिशत

योजना के अन्तर्गत लाभ लेने हेतु, एक ठेकेदार को कार्य संविदा की प्रकृति तथा लागू होने वाली करमुक्ति शुल्क की दर का उल्लेख करते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है। आवेदन की प्राप्ति पर, निर्धारण अधिकारी इसमें उल्लिखित तथ्यों की सत्यता से संतुष्ट होने पर, कार्य संविदा का विवरण, संविदा का कुल मूल्य,

करमुक्ति शुल्क की दर तथा करमुक्ति शुल्क की राशि दशांति हुए ई.सी. जारी करेगा।

चयन किये गये छः वृत्तों के निर्धारण अभिलेखों तथा एक अवार्डर (उत्तर पश्चिम रेलवे) से संगृहित सूचनाओं की जांच में पाया गया कि ई.सी. जारी करते समय निर्धारण अधिकारियों द्वारा कार्य संविदा की सही श्रेणी निश्चित नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरूप 82 ठेकेदारों पर ₹ 12.32 करोड़ का करमुक्ति शुल्क कम आरोपित हुआ जिसकी चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गयी है:

2.4.14.1 कम्पोजिट कार्यों के लिये कार्य संविदायें

एक कार्य संविदा आदेश, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्य (कम्पोजिट कार्य संविदा) दिये गये हों, वह अधिसूचना (2006) के क्रम संख्या एक से तीन में शामिल नहीं होती है। कम्पोजिट कार्य संविदा पर तीन प्रतिशत की दर से करमुक्ति शुल्क आरोपणीय होता है।

तीन डब्ल्यू.टी. वृत्तों¹⁶ तथा एक अवार्डर (उत्तर पश्चिम रेलवे) के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि कम्पोजिट कार्यों¹⁷ के लिए 48 कार्य संविदायें राशि ₹ 1,114.64 करोड़ की जारी की गयी थी। इन कार्य संविदाओं के लिये, 10 निर्धारण अधिकारियों ने 33 ठेकेदारों को संविदा के कुल मूल्य पर तीन प्रतिशत की सही दर के स्थान पर 1.00/1.50/2.25 प्रतिशत की दर से ई.सी. जारी की। निर्धारण अधिकारियों ने आरोपणीय करमुक्ति शुल्क ₹ 33.44 करोड़ के स्थान पर करमुक्ति शुल्क ₹ 23.52 करोड़ ही आरोपित की। इसके परिणामस्वरूप करमुक्ति शुल्क ₹ 9.92 करोड़ कम आरोपित हुआ।

2.4.14.2 बाउन्ड्रीवॉल के लिये कार्य संविदायें

केवल बाउन्ड्रीवॉल के निर्माण हेतु जारी कार्य संविदायें उपरोक्त अधिसूचना की तालिका के क्रम संख्या एक से तीन के अन्तर्गत नहीं आती है। इस प्रकार, केवल बाउन्ड्रीवॉल के निर्माण किये जाने पर करमुक्ति शुल्क तीन प्रतिशत की दर से आरोपणीय है।

चयन किये गये वृत्तों के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान, पाया गया कि चार डब्ल्यू.टी. वृत्तों¹⁸ के निर्धारण अधिकारियों ने संविदा मूल्य ₹ 25.20 करोड़ के बाउन्ड्रीवॉल के निर्माण के लिये ई.सी. जारी कर तीन प्रतिशत की दर से आरोपणीय करमुक्ति शुल्क ₹ 75.60 लाख के स्थान पर 1.5 प्रतिशत दर से

¹⁶ डब्ल्यू.टी.वृत्त - जयपुर-III, जोधपुर एवं श्रीगंगानगर।

¹⁷ जैसे कि 'जल आपूर्ति योजना के कार्य को आगे बढ़ाने वाले कार्य करना जिसमें ट्रांसमिशन मेन्स, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, पम्पहाउस, पम्पिंग मशीनरी तथा स्वीच गार्ड, आरसीसी जलाशय, सभी पम्पिंग स्टेशनों पर इलेक्ट्रिक इनहेन्समेन्ट सहित सम्बन्धित अन्य कार्य शामिल हैं' तथा भवन का नवीन/अतिरिक्त/सुधार का निर्माण कार्य, यात्रियों के लिये प्लेटफार्म, प्लेटफार्म शैल्डर्स तथा स्टेशन/सेक्शन पर गेज परिवर्तन योजना से सम्बन्धित अन्य विविध सिविल कार्य।

¹⁸ डब्ल्यू.टी.वृत्त - अजमेर, जयपुर-III, जोधपुर एवं श्रीगंगानगर।

₹ 37.80 लाख करमुक्ति शुल्क आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 37.80 लाख करमुक्ति शुल्क के कम आरोपित हुए।

2.4.14.3 विविध सिविल कार्यों के लिये कार्य संविदाएँ

विविध सिविल कार्यों जिनका उल्लेख क्रम संख्या 1 से 3 की श्रेणी में नहीं किया गया हो, के लिये जारी कार्य संविदा पर तीन प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। चयन किये गये डब्ल्यू.टी. वृत्तों¹⁹ के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 16 ठेकेदारों ने सिविल कार्यों जैसे- स्विमिंग पूल, ग्रेवलिंग, केबल ट्रेच, ट्रांसफार्मर ट्रेक, फाउण्डेशन, पावर ग्रिड सब-स्टेशन पर विट्रीफाईड टाईल्स की सप्लाई एण्ड फिक्सिंग आदि के लिये करमुक्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन किया। ये कार्य उपरोक्त अधिसूचना की तालिका के क्रम संख्या 1 से 3 की श्रेणी में शामिल नहीं है। इस प्रकार, संविदा मूल्य ₹ 53.20 करोड़ पर तीन प्रतिशत की दर से करमुक्ति शुल्क आरोपणीय था। निर्धारण अधिकारियों ने तीन प्रतिशत की सही दर से ₹ 159.60 लाख के स्थान पर 1.5 प्रतिशत की दर से गलत ई.सी. जारी कर करमुक्ति शुल्क ₹ 79.80 लाख आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप करमुक्ति शुल्क ₹ 79.80 लाख कम आरोपित हुआ।

2.4.14.4 प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना के लिये कार्य संविदायें

प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना से सम्बन्धित कार्य संविदा उपरोक्त अधिसूचना में दी गयी तालिका में क्रम संख्या तीन के अन्तर्गत आती है, जिसमें 'प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना' से सम्बन्धित कार्य संविदाओं के लिये 2.25 प्रतिशत की दर से करमुक्ति शुल्क अधिसूचित की गयी थी।

डब्ल्यू.टी. वृत्त जयपुर-I के निर्धारण अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि एक ठेकेदार ने विण्ड मिल्स को तैयार करने एवं स्थापित करने की ₹ 150.90 करोड़ की कार्य संविदा का कार्य वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 की अवधि में किया जिसके लिये 1.5 प्रतिशत की दर से ई.सी. गलत जारी की गयी। निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी का निर्धारण करते समय करमुक्ति शुल्क की सही दर 2.25 प्रतिशत से ₹ 3.39 करोड़ के स्थान पर 1.5 प्रतिशत की दर से ₹ 2.26 करोड़ ही निर्धारित (फरवरी 2011 एवं फरवरी 2012) किया। इसके परिणामस्वरूप करमुक्ति शुल्क ₹ 1.13 करोड़ एवं ब्याज ₹ 53.02 लाख का कम आरोपण हुआ।

2.4.14.5 सड़क की मरम्मत के लिये कार्य संविदाएँ

राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 26 मार्च 2012 से 'सड़क निर्माण से सम्बन्धित कार्य संविदाएँ' के लिये एक प्रतिशत करमुक्ति शुल्क अधिसूचित किया। इसके पश्चात्, अधिसूचना दिनांक 6 मार्च 2013 के द्वारा इसको 'सड़क निर्माण या मरम्मत से सम्बन्धित कार्य संविदायें' से प्रतिस्थापित किया गया। इसलिये 26 मार्च

¹⁹ डब्ल्यू.टी. वृत्त-अजमेर, जोधपुर एवं श्रीगंगानगर।

2012 से 5 मार्च 2013 की अवधि में सड़क मरम्मत से सम्बन्धित कार्य संविदाओं पर तीन प्रतिशत की दर से करमुक्ति शुल्क आरोपणीय था।

दो डब्ल्यू.टी. वृत्तों²⁰ के अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ कि निर्धारण अधिकारियों ने 22 ठेकेदारों को एक प्रतिशत की दर से ₹ 4.50 करोड़ की 'सड़क की मरम्मत से सम्बन्धित' कार्य संविदा के लिये अवधि 26 मार्च 2012 से 5 मार्च 2013 के दौरान 35 करमुक्ति प्रमाण-पत्र गलत जारी कर दिये तथा आरोपणीय करमुक्ति शुल्क ₹ 13.49 लाख के स्थान पर ₹ 4.50 लाख करमुक्ति शुल्क आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप करमुक्ति शुल्क ₹ 8.99 लाख का कम आरोपण हुआ।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने समापन सभा के दौरान सहमत होकर बताया कि करमुक्ति प्रमाण-पत्र देने से पूर्व संविदा की प्रकृति की जांच करने के निर्देश निर्धारण अधिकारी को जारी किये जा चुके हैं।

करारोपण से वंचित टर्नओवर का निर्धारण

2.4.15 फ्लेट्स/विलाज/दुकानों का निर्माण पूर्ण होने से पूर्व प्री-बुकिंग आधार पर बिक्री

भावी क्रेताओं से निर्माण पूर्व अनुबन्ध कर उनसे अग्रिम राशि स्वीकार कर फ्लेट्स/विलाज/दुकानों आदि का निर्माण, कार्य संविदा की परिधि में आता है तथा इस पर राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत कर देय है। चयन किये गये वृत्तों में निर्माण से पूर्व बुकिंग के आधार पर एक भी डवलपर/बिल्डर का ठेकेदार के रूप में कर हेतु निर्धारण करना नहीं पाया गया।

डब्ल्यू.टी. वृत्त अजमेर के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा चार बिल्डर्स/डवलपर्स/व्यवहारियों के बारे में प्रारंभिक पूछताछ (जून 2012) की गयी, जो कि अजमेर संभाग में बिल्डिंग/मॉल्स/आवासीय कॉलोनियां बनाने के काम में लगे थे। निर्माण कार्य, ठेकेदारों के साथ-साथ बिल्डर्स/डवलपर्स के द्वारा स्वयं भी किया जा रहा था। जांच रिपोर्ट के अनुसार, फ्लेट्स/दुकानों आदि की बिक्री बिल्डिंग/मॉल्स के निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व प्री-बुकिंग आधार पर की गयी थी। कुछ प्रकरणों में, ठेकेदारों को सीमेन्ट या स्टील बिना कीमत लिये उपलब्ध कराया गया था अथवा ठेकेदारों को आपूर्ति किये गये माल की लागत उनके बिल से काटी गयी। ऐसे संव्यवहार राजस्थान वैट अधिनियम के अंतर्गत करारोपण योग्य थे। यह पाया गया कि डब्ल्यू.टी. वृत्त अजमेर ने प्रारम्भिक पूछताछ के अतिरिक्त कोई कार्यवाही नहीं की तथा अवाडर्स/डीलर्स के सम्बन्धित निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट भेज दी। इस बारे में

²⁰ डब्ल्यू.टी. वृत्त-अजमेर एवं श्रीगंगानगर।

आगे कोई कार्यवाही करना नहीं पाया गया। इन पूछताछ रिपोर्टों तथा सम्बन्धित वृत्तों से संगृहीत सूचनाओं से निम्न प्रकरणों में अनियमितताएं पायी गयी:

2.4.15.1 वृत्त बी, जयपुर के एक पंजीकृत व्यवहारी ने अजमेर में ₹ 40 करोड़ की लागत का एक मॉल का निर्माण/विकास कार्य किया। मॉल का निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व प्री-बुकिंग आधार पर दुकानों, कार्यालयों आदि की बिक्री की गयी थी।

वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के व्यवहारी की प्रवेश कर निर्धारण पत्रावलियों की जांच पर ज्ञात हुआ कि बिल्डर/डवलपर ने राज्य के बाहर से वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 की अवधि में कीमत ₹ 18.64 करोड़ का माल जैसे माईल्ड स्टील बार्स, टाईल्स, लकड़ी के दरवाजे, इलेक्ट्रीकल केबल्स, डी.जी.सेट्स, प्री-इंजीनियर्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स आदि की खरीद की थी। व्यवहारी ने बताया कि इस माल को राज्य में विभिन्न प्रोजेक्टों के निर्माण में उपयोग लिया गया था। कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पूछताछ रिपोर्ट के अनुसार दुकानों, कार्यालयों आदि की प्री-बुकिंग आधार पर बिक्री की गयी थी। इसलिये राजस्थान वैट अधिनियम के अन्तर्गत इस माल पर कर देय था। फिर भी, निर्धारण अधिकारी ने इस माल पर कर का निर्धारण नहीं किया।

2.4.15.2 एक बिल्डर/डवलपर अजमेर में ₹ 50 करोड़ की लागत से एक आवासीय कॉलोनी को बना रहा था। निर्माण कार्य विभिन्न ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा था। डब्ल्यू.टी. वृत्त, जयपुर-I में बिल्डर/डवलपर द्वारा प्रस्तुत कार्य आदेशों की जांच में पाया गया कि बिल्डर/डवलपर, ठेकेदारों को सीमेन्ट एवं स्टील बिना लागत उपलब्ध करवा रहा था तथा कुछ प्रकरणों में आपूर्ति किये माल की लागत ठेकेदारों के बिलों से काटी जा रही थी। यदि ये फ्लेट्स, विलाज, दुकानें प्री-बुकिंग के आधार पर बेची गयी तो राजस्थान वैट अधिनियम के अन्तर्गत बिल्डर/डवलपर द्वारा आपूर्ति किया गया माल कर योग्य था। फिर भी, बिल्डर/डवलपर के कर दायित्व को सुनिश्चित करने के लिये विभाग द्वारा कोई खोज बीन नहीं की गयी।

2.4.15.3 एक डवलपर ₹ 55 करोड़ की लागत से एक आवासीय कॉम्प्लेक्स निर्माण/विकसित कर रहा था। डब्ल्यू.टी. वृत्त, अजमेर की पूछताछ रिपोर्ट के अनुसार डवलपर द्वारा राज्य के बाहर से सामग्री की खरीद की गयी थी। इसके अलावा, 392 फ्लेट्स में से 170 फ्लेट्स को निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व प्री-बुकिंग पर बेचा गया था। पूछताछ रिपोर्ट को, वृत्त बी, जयपुर को अग्रिम कार्यवाही के लिये भेजा गया। यह पाया गया कि डवलपर के कर दायित्व को सुनिश्चित करने हेतु इस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

2.4.15.4 पूछताछ रिपोर्ट के अनुसार, एक पंजीकृत व्यवहारी ₹ 40 करोड़ की प्रोजेक्ट लागत से अजमेर में एक मॉल निर्माण कर रहा था। फर्म द्वारा मॉल के निर्माण में ₹ 12.07 करोड़ का सीमेन्ट तथा स्टील आदि काम में लिया गया।

दुकानों को निर्माण पूर्ण होने से पूर्व प्री-बुकिंग आधार पर बेचा गया। इन संव्यवहारों पर कर निर्धारण नहीं किये जाने सम्बन्धी कोई कारण अभिलेखों पर नहीं पाये गये।

2.4.15.5 लेखापरीक्षा द्वारा एक वित्तीय संस्थान से संगृहित सूचनाओं से पता चला कि चार डवलपर्स/बिल्डरों ने जयपुर स्थित चार योजनाओं में 324 फ्लेट्स को उन फ्लेट्स के निर्माण/तैयार होने से पूर्व बेचा था। इसलिये, कार्य संविदाओं के निष्पादन में काम में लिये गये माल पर इन डवलपर्स/बिल्डरों द्वारा कर चुकाया जाना था। जबकि, राजटैक्स पर इनका प्रति-सत्यापन करने पर पाया गया कि ये डवलपर्स/बिल्डर्स राजस्थान वैट अधिनियम में पंजीकृत नहीं थे। अन्य विवरणों के अभाव में राजस्व की वास्तविक हानि को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

उपरोक्त कमियां यह दर्शाती हैं कि निर्माण पूर्ण होने से पूर्व प्री-बुकिंग आधार पर फ्लेट्स/विलाज/दुकानों की बिक्री पर कर दायित्व को सुनिश्चित नहीं किया गया यद्यपि विभाग के पास सूचनाएं उपलब्ध थीं।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने समापन सभा में बताया कि बिल्डरों तथा डवलपर्स पर वैट के दायित्व सम्बन्धी विशिष्ट प्रावधान राजस्थान वैट नियमों में शामिल (जुलाई 2014) किये गये हैं; तथापि, बिल्डर्स तथा डवलपर्स को मार्च 2014 तक के वैट दायित्व से राज्य सरकार ने मुक्त कर दिया है।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने यह भी बताया कि डवलपर्स/बिल्डर्स से पूछताछ करने एवं पंजीकृत करने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं। यह भी कहा गया कि इस बारे में शहरी स्थानीय निकायों, मुद्रांक तथा पंजीयन विभाग, श्रम विभाग आदि से सूचनायें एकत्र की जा रही हैं।

इस प्रकार, तथ्य दर्शाते हैं कि बड़ी मात्रा में धनराशि एकत्र की जा सकती थी जिसे छोड़ दिया गया यद्यपि अधिनियम में कर आरोपित किये जाने के प्रावधान पूर्व से ही विद्यमान थे।

2.4.16 व्यवहारियों के 'बिजनेस ऑडिट' आयोजन में विफलता

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 27 तथा नियम 47 में प्रावधान है कि आयुक्त, वाणिज्यिक कर ऐसे पंजीकृत व्यवहारियों के व्यवसाय की लेखापरीक्षा (बिजनेस ऑडिट) करवा सकता है, जिनका किसी विशिष्ट मापदण्ड से या रेण्डम आधार पर चयन किया गया हो या जिनके बारे में यह विश्वास करने का कारण हो कि उनके व्यवसाय की विस्तृत संवीक्षा किया जाना आवश्यक है। अधिनियम के अन्तर्गत इसकी एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार किया जाना जरूरी है।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने बिजनेस ऑडिट के लिये पंजीकृत व्यवहारियों की कुल संख्या के पांच प्रतिशत के चयन हेतु मापदण्ड 2009 तथा 2011 में निर्दिष्ट किये थे। यह पाया गया कि जांच किये गये डब्ल्यू.टी. वृत्तों में वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान बिजनेस ऑडिट हेतु एक भी व्यवहारी का चयन नहीं किया।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार बिजनेस ऑडिट करने में विफलता के परिणामस्वरूप ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों की शुद्धता जांचने एवं राजस्व के रिसाव को रोकने को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने समापन सभा में बताया कि बिजनेस ऑडिट के लिये ठेकेदारों के चयन हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

2.4.17 आंतरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा डब्ल्यू.टी. वृत्तों की लेखापरीक्षा

आंतरिक नियंत्रण का उद्देश्य कानूनों, नियमों, कार्यकारी निर्देशों के उचित रूप से लागू करने के प्रति समुचित आश्वासन देना है। इस तरह का नियंत्रण आंतरिक लेखापरीक्षा के द्वारा भी किया जाता है।

विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा समूह के अभिलेखों की जांच पर ज्ञात हुआ कि आंतरिक लेखापरीक्षा समूह ने सभी 12 डब्ल्यू.टी. वृत्तों का चयन किया था। किन्तु वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा प्रत्येक वर्ष मात्र 6 से 7 डब्ल्यू.टी. वृत्तों की लेखापरीक्षा की गयी। यह भी पाया कि 2010-11 से 2012-13 में 189 प्रकरणों में अनियमिततायें पायी गयी थी किन्तु केवल 21 प्रकरणों में ही कार्यवाही की गयी।

2.4.18 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

वाणिज्यिक कर विभाग, जो कि राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति में मुख्य योगदान करता है, द्वारा कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू किये गये हैं जैसे कि व्यवहारी द्वारा विवरणियों को ऑनलाईन प्रस्तुत करना तथा उनका निर्धारण करना, आई.टी. मॉड्यूल द्वारा आई.टी.सी. के दावों का सत्यापन करना, आदि। फिर भी, निम्न क्षेत्रों में विशेष ध्यान की आवश्यकता है:

- जारी संविदा कार्यों का डाटाबेस संधारित करने या जहां ये उपलब्ध है, वहां उनका उपयोग अपंजीकृत ठेकेदारों को पहचानने में करने की कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी। इसके अलावा, अपंजीकृत ठेकेदारों के प्रकरण में टी.डी.एस. की उच्चतर दर जैसे कठोर उपाय राजस्थान वैट अधिनियम में उपलब्ध नहीं है। सरकार को चाहिये कि जारी संविदा कार्यों का डाटाबेस संधारित करने के लिए प्रणाली विकसित करें तथा इसका उपयोग अपंजीकृत ठेकेदारों को पहचानने हेतु किया जाये। सरकार को राजस्थान वैट अधिनियम में अपंजीकृत ठेकेदारों के प्रकरण में टी.डी.एस. की उच्चतर दर लागू करने के उचित प्रावधान शामिल करने पर भी विचार करना चाहिए।
- अवार्डरों द्वारा टी.डी.एस. काटने, समय पर जमा कराने तथा मासिक विवरण प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं की गयी, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज एवं शास्ति का आरोपण नहीं किया गया। टी.डी.एस. की

सही कटौती तथा समय पर जमा कराने संबंधी अवाडरों के उत्तरदायित्व का निर्धारण किये जाने के लिए निर्देश जारी करने पर सरकार को विचार करना चाहिए।

- उप-ठेकेदार के करयोग्य टर्नओवर में से उप-ठेके की राशि की कटौती को निर्धारण अधिकारी ने यह सुनिश्चित किये बिना कि मुख्य ठेकेदार ने उस टर्नओवर पर कर चुका दिया, स्वीकार कर लिया। करयोग्य टर्नओवर में से कोई भी छूट देने से पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुख्य ठेकेदार द्वारा उप-ठेके से सम्बन्धित टर्नओवर पर कर चुका दिया गया है, निर्दिष्ट प्रपत्र में एक घोषणा पत्र प्राप्त करने के एक प्रावधान को महाराष्ट्र वैट अधिनियम की तर्ज पर राजस्थान वैट अधिनियम में सम्मिलित करने पर सरकार को विचार करना चाहिये।
- बिल्डर्स/डवलपर्स द्वारा फ्लेट्स/दुकानों के प्री-बुकिंग पर कर संग्रह करने के प्रति विभागीय मशीनरी सचेत नहीं थी। जो प्रकरण उनके ध्यान में थे उनमें से किसी में भी जांच नहीं की गयी। ऐसे बिल्डर्स/डवलपर्स को पहचानने के लिये सरकार को एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए तथा फ्लेट्स/विलाज/दुकानों/माल्स के प्री-बुकिंग से बिक्री के कारण राजस्व के रिसाव को रोकने के लिये कदम उठाये जायें।
- ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों की शुद्धता को जांचने तथा छिपाये गये करयोग्य टर्नओवर को ढूंढने के लिए विभाग के पास आन्तरिक नियंत्रण तकनीक पर्याप्त नहीं थी। सरकार द्वारा विभाग को निर्देश देने चाहिए कि विवरणियों में दर्शाये शून्य टर्नओवर की सटीकता की जांच करें तथा ऐसे ठेकेदारों का पंजीयन निरस्त करने के कठोर प्रावधानों पर विचार करें जिन्होंने पिछले तीन से पांच वर्षों के लिये विवरणियां प्रस्तुत नहीं की थी, जबकि विभाग में उपलब्ध सूचनाओं/अवाडरों से प्राप्त सूचनाओं के सत्यापन के अनुसार उनका स्पष्ट करयोग्य टर्नओवर था।
- व्यवसाय लेखापरीक्षा करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप ठेकेदारों द्वारा टर्नओवर को कम दर्शाये जाने को नहीं खोजा जा सका। ठेकेदारों को व्यवसाय लेखापरीक्षा के दायरे में लाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने पर सरकार को विचार करना चाहिए।

2.5 क्रय कर का अनारोपण

राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 4(2) के अनुसार प्रत्येक व्यवहारी जो अपने व्यवसाय के दौरान करमुक्त माल से भिन्न अन्य माल का क्रय ऐसी परिस्थितियों में करता है जिसमें ऐसे माल के विक्रय मूल्य पर उप धारा(I) के तहत कोई कर देय नहीं है और उस माल का निस्तारण धारा 18 की उप धारा (1) के क्लॉज (ए) से (जी) में वर्णित उद्देश्यों के अतिरिक्त करता है तो वह ऐसे माल के क्रय मूल्य पर अधिनियम की अनुसूची III से अनुसूची VI में ऐसे माल के सम्मुख दर्शित दर से कर चुकाने के लिये उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 55 के अनुसार 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देय होगा।

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-राजस्थान, जयपुर के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच के दौरान यह पाया (सितम्बर 2013) कि एक व्यवहारी ने अपंजीकृत व्यवहारियों से आटा बनाने के लिये राशि ₹ 5.26 करोड़ का गेहूँ खरीदा। व्यवहारी ने गेहूँ, जो करयोग्य कच्चा माल था, की कीमत पर क्रय कर नहीं जमा कराया और गेहूँ का आटा राज्य के बाहर स्थित अपनी ब्रांचों को स्थानान्तरित कर दिया। निर्धारण अधिकारी ने भी व्यवहारी के वर्ष 2010-11 के निर्धारण आदेश को अन्तिम रूप देते समय क्रय कर का आरोपण नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप क्रय कर ₹ 21.02 लाख और ब्याज ₹ 6.31 लाख (मार्च 2013 तक) का अनारोपण हुआ।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (सितम्बर 2013) तथा सरकार को सूचित किया (मई 2014)। सरकार ने सूचित किया (सितम्बर 2014) कि कर ₹ 21.02 लाख तथा ब्याज ₹ 9.67 लाख की मांग कायम कर दी गयी तथा ₹ 2.10 लाख वसूल कर लिये गये। शेष वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

2.6 आगत कर लाभ की अनियमित स्वीकृति

राजस्थान वैट अधिनियम 2003 की धारा 18(2) में प्रावधान है कि आगत कर लाभ (आई.टी.सी.) का दावा मूल वैट बीजक पर जमा कर के आधार पर ऐसा बीजक जारी होने की तिथि से तीन माह के भीतर स्वीकार्य होगा। आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि से छः माह के भीतर आई.टी.सी. के दावों के सत्यापन किये जाने के निर्देश (1 सितम्बर 2009) जारी किये। इसके अलावा, धारा 61(2)(ए) में प्रावधान है कि कोई व्यवहारी झूठे या फर्जी बीजक के आधार पर गलत आई.टी.सी. का उपयोग करता है तो निर्धारण अधिकारी ऐसे आगत कर लाभ को रिवर्स करेगा और ऐसे गलत लाभ की राशि का चार गुणा शास्ति आरोपित करेगा।

सहायक आयुक्त, वृत्त-बी, भरतपुर के वर्ष 2010-11 के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच के दौरान यह पाया (जून 2013) कि एक व्यवहारी ने ₹ 8.79 लाख

की आई.टी.सी. का उपयोग किया और इसे निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण के समय बिना किसी सत्यापन के स्वीकार कर लिया। व्यवहारी ने ₹ 5.97 लाख की आई.टी.सी. कुछ ऐसे विक्रेता व्यवहारियों के बीजकों के आधार पर ली, जिनके विक्रय विवरण ऑनलाइन उपलब्ध थे।

विक्रेताओं के अभिलेखों तथा क्रेता की विवरणियों के प्रति-सत्यापन में पाया कि व्यवहारी ने ₹ 5.97 लाख के आगत कर लाभ लिया जबकि विक्रेता व्यवहारियों के विक्रय विवरणों के अनुसार, व्यवहारी से केवल ₹ 0.02 लाख ही कर वसूल किया गया था। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा ₹ 5.95 लाख का अधिक लाभ लिया गया। निर्धारण अधिकारी द्वारा आई.टी.सी. का सत्यापन नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 5.95 लाख की अनियमित स्वीकृति और चार गुणा शास्ति ₹ 23.79 लाख का अनारोपण हुआ।

इसे ध्यान में लाये जाने के बाद, विभाग तथा सरकार ने सूचित किया (सितम्बर 2014) कि ₹ 5.85 लाख एवं शास्ति ₹ 23.25 लाख मांग कायम कर दी गई। वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

2.7 अन्तर्राज्यीय विक्रय पर कर का कम आरोपण

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, एक पंजीकृत व्यवहारी द्वारा सी-प्रपत्र केवल पुनर्विक्रय अथवा विक्रय हेतु माल के निर्माण या प्रक्रिया में उपयोग अथवा संचार नेटवर्क में अथवा खनन में अथवा विद्युत के उत्पादन या वितरण में उपयोग हेतु माल क्रय करने के लिये जारी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यह धारा प्रावधान करती है कि किसी व्यवहारी द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार के दौरान निर्धारित शर्तों की पूर्ति नहीं होने पर माल की बिक्री पर उस राज्य में ऐसे माल की बिक्री पर लागू दर से कर देय होगा।

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2010-11 के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में पाया कि एक व्यवहारी (मैसर्स टाटा मोटर्स लि., जयपुर) ने अन्तर्राज्यीय व्यापार के दौरान सी-प्रपत्रों के समर्थन में निम्नलिखित संविदा ठेकेदारों को मोटर वाहनों का विक्रय किया और दो प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया।

(₹ लाख में)

क्र.सं.	क्रेता व्यवहारी का नाम	सी-प्रपत्र संख्या	विक्रय राशि
1.	मैसर्स वराह इन्फ्रा लिमिटेड, हरियाणा	4840337	809.97
2.	मैसर्स वराह इन्फ्रा लिमिटेड, हरियाणा	4840338	154.27
3.	मैसर्स एसआरसी रीयल टैक प्रा. लिमिटेड, हरियाणा	3175560	163.04
8.3.2011 तक कुल विक्रय			1,127.28
4.	मैसर्स जी.आर. इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, झारखण्ड (8.3.2011 के बाद विक्रय)	0980421	143.27
योग			1,270.55

चूंकि मोटर वाहन निर्धारित उद्देश्यों (विक्रय हेतु माल के निर्माण या प्रक्रिया में उपयोग अथवा संचार नेटवर्क में अथवा खनन में अथवा विद्युत के उत्पादन या वितरण में उपयोग) हेतु उपयोग में नहीं लिये गये इसलिए इस अन्तर्राज्यीय विक्रय पर राज्य में लागू दर जो 14/15 प्रतिशत थी से निम्नानुसार कर आरोपणीय था:

(₹ लाख में)

विक्रय की अवधि	विक्रय राशि	कर की दर में अंतर (प्रतिशत)	आरोपणीय कर	आरोपणीय ब्याज (मार्च 2013 तक)
8.3.2011 तक	1,127.28	12	135.27	40.58
8.3.2011 के बाद	143.27	13	18.63	4.47
योग	1,270.55		153.90	45.05

तथापि, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण करते समय उक्त तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके परिणामस्वरूप कर ₹ 1.54 करोड़ और ब्याज ₹ 45.05 लाख का कम आरोपण हुआ।

इसे ध्यान में लाये जाने के बाद, विभाग तथा सरकार ने सूचित किया (सितम्बर 2014) कि कर ₹ 1.54 करोड़ और ब्याज ₹ 69.25 लाख का आरोपण कर दिया गया तथा ₹ 22.32 लाख वसूल कर लिये गये। शेष वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

2.8 विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 की धारा 58 और राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 55 के तहत राज्य सरकार ने कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज की दर 31 मार्च 2002 तक 24 प्रतिशत, 1 अप्रैल 2002 से 11 जुलाई 2004 तक 18 प्रतिशत तथा इसके बाद 12 प्रतिशत निर्धारित की थी।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त बारों के अवधि 2012-13 के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान पाया (अगस्त 2013) कि एक व्यवहारी ने 1994-95 से 1998-99 की अवधि से सम्बन्धित मांग राशि ₹ 40.89 लाख जमा (8 जनवरी 2013) करायी। फिर भी, निर्धारण अधिकारी ने मांग के विलम्बित भुगतान पर ब्याज आरोपित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ब्याज ₹ 81.79 लाख का अनारोपण हुआ।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2013) और सरकार को सूचित (मई 2014) किया। सरकार ने अवगत कराया (सितम्बर 2014) कि ₹ 81.79 लाख की मांग सितम्बर एवं नवम्बर 2013 में कायम कर दी गयी। यह भी सूचित किया कि वसूली प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी और बैंक खाता पर रोक लगा दी गयी। वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

2.9 प्रवेश कर का अनारोपण

‘राजस्थान स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 1999’ की धारा 3(1) के तहत दिनांक 8 मार्च 2006 को अधिसूचना जारी करके राज्य सरकार ने विनिर्दिष्ट माल के उपभोग या उपयोग या विक्रय हेतु स्थानीय क्षेत्र में लाने पर अधिसूचना में दर्शायी दर से व्यवहारी द्वारा देय कर को निर्दिष्ट किया।

प्रपत्र वैट-47/वैट ऑडिट रिपोर्ट/वैट-10ए और वैट विवरणियों के साथ संलग्न अन्य अभिलेखों के अनुसार 20 व्यवहारियों ने 2009-10 से 2010-11 के दौरान राशि ₹ 369.66 करोड़ का माल राज्य के बाहर से खरीदा जिस पर प्रवेश कर आरोपणीय था। निर्धारण अधिकारियों ने व्यवहारियों के प्रवेश कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय विभाग के पास उपलब्ध इन अभिलेखों की जांच नहीं की। इसके परिणामस्वरूप प्रवेश कर ₹ 4.72 करोड़ एवं ब्याज ₹ 1.69 करोड़ का अनारोपण हुआ।

इसे ध्यान में लाये जाने के बाद (अगस्त 2013 से अप्रैल 2014), विभाग तथा सरकार ने सूचित किया (सितम्बर 2014) कि ₹ 5.44 करोड़ (प्रवेश कर ₹ 3.70 करोड़, ब्याज ₹ 1.23 करोड़ एवं शास्ति ₹ 51.02 लाख) की मांग कायम कर दी गयी और कर ₹ 84.68 लाख वसूल कर लिये गये। शेष वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई (दिसम्बर 2014)।